संख्या–आडिट–322/वित्त–2006–601(14)/2005

1430

[illegible]

विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

रजिस्ट्रार

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
[illegible]

[illegible] दिनांक 10 मार्च, 2006

वित्त (लेखा–परीक्षा) अनुभाग

विषय :– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के कियान्वयन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2099/लखनऊ, दिनांक 19–01–2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट में पत्रावलियों का निरीक्षण करने हेतु रू0 50/– का शुल्क लिया [illegible] के अन्तर्गत अभिलेखों की प्राप्ति हेतु रू0 2/– का शुल्क निर्धारित है । सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 में अभिलेख की प्राप्ति का कोई प्राविधान नहीं है बल्कि अभिलेखों के बारे में सूचना का अधिकार दिया गया है । सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम में अभिलेखों की प्राप्ति तथा पत्रावलियों के निरीक्षण का शुल्क व्यवस्थित होने के कारण कोई विसंगति नहीं उत्पन्न होती है ।

उपर्युक्त स्पष्ट व्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि जब केवल सूचना की बात आये तब सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 लागू होगा और जब अभिलेख की प्राप्ति अथवा निरीक्षण की बात आये तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के प्राविधान लागू होंगे । कृपया तद्‌नुसार सम्बन्धित अधिनियमों में उल्लिखित व्यवस्थाओं के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(छत्रपाल)
विशेष सचिव ।